



2026:AHC-LKO:20251

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 2380/2026

उमा शंकर उर्फ उमा शंकर मिश्रा एवं अन्य

...आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग,

उ.प्र. शासन, लखनऊ एवं 3 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता: चेतन कुमार तिवारी

विपक्षीगण के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या: 16

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

विपक्षी संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए0जी0ए0, विपक्षी संख्या 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आवेदन निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के साथ दायर किया गया है:

"संलग्न शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों, कारणों और परिस्थितियों के आधार पर, यह माननीय न्यायालय दिनांक 12.03.2026 के समझौता विलेख के संदर्भ में, थाना नवीन मॉडर्न पुलिस थाना, जिला श्रावस्ती में दर्ज वाद अपराध संख्या 11/2024, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 308, 34 भा0.दं0.सं0. के अनुसरण में प्रस्तुत आरोप पत्र दिनांक 04.05.2024 के आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती की अदालत में लंबित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(राज्य बनाम उमा शंकर मिश्रा व अन्य) एस0टी0 संख्या 356/2024 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय दिनांक 12.03.2026 के समझौता विलेख के संदर्भ में थाना नवीन मॉडर्न पुलिस थाना, जिला श्रावस्ती में दर्ज वाद अपराध संख्या 11/2024, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 308, 34 भा0.दं0.सं0. के अनुसरण में प्रस्तुत आरोप पत्र दिनांक 04.05.2024 के आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती की अदालत में लंबित (राज्य बनाम उमा शंकर मिश्रा व अन्य) एस0टी0 संख्या 356/2024 की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा करे।"

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और उनके बीच दिनांक 12.03.2026 को एक समझौता हो गया है (जिसकी मूल प्रति आवेदन के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न है)।

पक्षों के बीच वास्तव में समझौता हुआ है या नहीं, इसका सत्यापन उस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है, जहाँ मामला लंबित है। इसलिए, संबंधित न्यायालय के समक्ष पक्षों की उपस्थिति में समझौते का विधिवत सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता को समझौते की स्थिति में कोई आपत्ति नहीं है।

दोनों पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से दो सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और अपने समझौता पत्र को प्रस्तुत करें/उस पर कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त समझौता आवेदन पर आदेश पारित करे और सभी औपचारिकताएं उस तिथि से आठ सप्ताह के भीतर पूरी की जाएंगी।

तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र को संबंधित न्यायालय के लिए इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत किया जाता है या पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुका है, तो वह समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस जारी करेगा और उसके बाद समझौते के सत्यापन की कार्यवाही करेगा। यदि उक्त समझौते का सत्यापन हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा उस प्रभाव की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उस स्थिति में न्यायालय पक्षों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदकगण के लिए कार्यवाही को रद्द करवाने हेतु पुनः इस न्यायालय में आने का मार्ग खुला रहेगा।

अगले तीन महीनों की अवधि के लिए, उपरोक्त मामले में आवेदकगण के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह समझौता विलेख की फोटोकॉपी रखने के बाद उसकी मूल प्रति आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दे।

19 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।